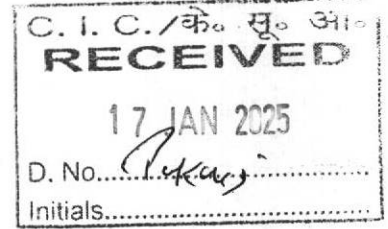
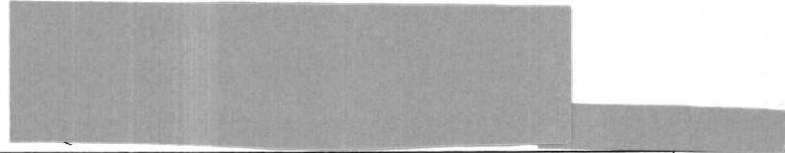




केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067



प्रथम अपील सं. CICOM/A/P/24/00146
संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/P/24/00476
अपीलकर्ता मोहम्मद रिज़वान खान



आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	28.10.2024
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	07.11.2024
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	18.11.2024
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	कर्नल एस.एस.चिकारा, CPIO (DR to ICAR)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	06.12.2024
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	19.12.2024
निर्णय की तारीख	17.01.2024

1. मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 28.10.2024 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी :-

“(i) संबंधित सीपीआईओ द्वारा द्वितीय अपील CIC/PNBK/A/2022/138581 पर आयोग द्वारा दिए गए आदेश के सन्दर्भ में आयोग के समक्ष डाक द्वारा दिए गए लिखित बयान आयोग में प्राप्ति जिस डाक लिफाफे के द्वारा हुई उसकी प्रमाणित प्रति दें। एवं उस दस्तावेज की प्रमाणित प्रति दें जिसमें संबंधित डाक लिफाफे की प्राप्ति अंकित की गयी।

“(ii) संबंधित सीपीआईओ द्वारा संबंधित द्वितीय अपील के संबंध में आयोग द्वारा दिए गए आदेश के सन्दर्भ में लिखित बयान किस दिनांक को <https://dsscic.nic.in/online-link-Paper-पर> अपलोडिंग द्वारा प्राप्त हुआ। संबंधित अपलोडिंग दिनांक के संबंध में प्रमाणित प्रति दें।

2. प्रदान की गई सूचना

श्री एस.एस.चिकारा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी पत्र दिनांकित 18.11.2024 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई:-

“(a) Point 1 & 2.) - The information being asked is third party information hence cannot be provided as per RTI Act para 8 (e). However, the information so asked is available on website CIC.GOV.IN – CITIZEN SERVICE- DAK/APPEAL/COMPLAINT STATUS-DISPATCH-FILE STATUS.

(b) – Further go to speed tracker site of Post Office.”

3. प्रथम अपील का आधार

“श्रीमान जी से प्रार्थना यह है कि आज दिनांक तक सूचना पत्र दिए जाने से 30 दिन से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी संबंधित जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को ना तो कोई सूचना उपलब्ध कराई गई और ना ही कोई अन्य पत्राचार किया गया। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के अंतर्गत प्रथम अपील आपके समक्ष प्रस्तुत है।”

4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/24/00476 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार नहीं है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (DR to IC AR) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश के प्राप्ति के दस दिन के भीतर आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/24/00476 के तहत मांगी गई सूचना का अवलोकन कर अपीलकर्ता को पुनः स्पष्ट बिंदुवार सूचना प्रेषित की जाये।

5. तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 17.01.2025

रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

2.) DR to IC (AR) अनुपालन के संबंध में!